भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 164160

(प्रारूप–अ)

हम अशोक कुमार प्रबन्धक एवं मनोज कुमार संस्थापक कुंज बिहारी लाल मेमोरियल महाविद्यालय प्रबन्ध समिति, पता डुबकी, हसनपुर पोस्ट कान्धी कानपुर देहात (उ0प्र0) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करता हूँ कि–

1. यह कि हमारे सोसायटी द्वारा कुंज बिहारी कालेज ऑफ फार्मेसी डुबकी, हसनपुर पोस्ट कान्धी कानपुर देहात नामक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारे सोसायटी के नाम कुंज बिहारी कालेज ऑफ फार्मेसी डुबकी, हसनपुर पोस्ट कान्धी कानपुर देहात (उ0प्र0) में गाटा सं0 106 कुल रकबा 2.52 एकड़ भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं0 106 कुल कुल रकबा 2.52 एकड़ पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायटी की बैठक दिनाक 1 जुलाई 2021 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही उपरोक्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम भूमि एव उस पर निर्मित एंव निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एंव इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान का ही सचांलन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्थान मे फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्व पाठ्यक्रमों एंव प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों मे प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई0टी0आई0 आदि का सचांलन भविष्य में न ही किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के सचांलन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एंव कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के सचांलन हेतु आवश्यक शैक्षिक एंव अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसायटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशो / आदेशो का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एंव सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एंव मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एंव अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वंय उत्तरदायी होऊंगा।

ह0 प्रबन्धक

ह0 संस्थापक